लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3858

उत्तर देने की तारीखः 16.07.2019

ओ.बी.सी. छात्रों के लिए पी.एम.एस. योजना

+3858. श्री अरुण सावः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पी.एम.एस.) लागू की जा रही है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों द्वारा आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित की गई निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) तथा (ख) : जी, हां। अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन ओबीसी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों को ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) : जी, हां। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है:
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली, असम, मणिपुर।

(ङ) : संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुनरीक्षा बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

****

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17			2017-18			2018-19			2019-20 (11.07.2019 के अनुसार)	
		आबंटित निधियां	जारी केंद्रीय सहायता	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी केंद्रीय सहायता	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी केंद्रीय सहायता	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग की गई निधियां	आबंटित निधियां	जारी केंद्रीय सहायता
1	आंध्र प्रदेश	3404.00	3709.10	3709.10	3404.00	4399.11	4337.92	4183.00	4121.81	4121.81	3479.00	
2	बिहार	7196.00	5397.00	5397.00	7196.00	0.00	0.00	8843.00	8842.71		7355.00	
3	छत्तीसगढ़	1766.00	0.00	0.00	1766.00	2282.26	2282.26	2172.00	2172.00	$	1807.00	
4	गोवा	104.00	113.32	113.32	104.00	132.53	132.53	128.00	297.05		106.00	
5	गुजरात	4187.00	4562.28	4562.28	4187.00	5335.74	5335.74	5145.00	5145.00	5145.00	4280.00	
6	हरियाणा	1761.00	0.00	0.00	1761.00	0.00	300.00	2164.00	1235.46		1800.00	
7	हिमाचल प्रदेश	478.00	520.84	520.84	478.00	609.15	609.15	588.00	588.00	$	489.00	
8	जम्मू और कश्मीर	867.00	944.71	718.23	867.00	650.25	612.82	1065.00	801.10		886.00	
9	झारखंड	2288.00	2493.08	2493.08	2288.00	2956.86	2956.86	2811.00	2811.00		2338.00	
10	कर्नाटक	4236.00	4615.67	4615.67	4236.00	5474.32	5474.32	5205.00	5205.00	5205.00	4330.00	
11	केरल	2315.00	2327.19	2327.19	2315.00	2950.14	2950.14	2845.00	2845.00	$	2367.00	
12	मध्य प्रदेश	5033.00	5484.11	5484.11	5033.00	6504.32	6504.32	6185.00	6185.00	6185.00	5144.00	
13	महाराष्ट्र	7792.00	8490.40	7792.00	7792.00	5844.00	5844.00	9575.00	9575.00	$	7965.00	
14	ओडिशा	2905.00	2855.75	2855.75	2905.00	2178.75	2143.56	3570.00	3534.81	3570.00	2969.00	
15	पंजाब	1920.00	2092.10	2092.10	1920.00	1440.00	0.00	2360.00	0.00		1963.00	
16	राजस्थान	4756.00	5182.28	5051.58	4756.00	5663.47	5732.66	5844.00	5782.49	$	4861.00	किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधियां जारी नहीं की गई
17	तमिलनाडु	4998.00	5445.97	5445.97	4998.00	4550.00	4550.00	6142.00	6142.00	6142.00	5109.00	
18	तेलंगाना	2468.00	2689.21	2689.21	2468.00	1851.00	0.00	3033.00	0.00	$	2522.00	
19	उत्तर प्रदेश	13837.00	15077.22	15077.22	13837.00	17882.03	17882.03	17004.00	20450.66	16755.28	14144.00	
20	उत्तराखंड	700.00	737.74	45.38	700.00	525.00	651.82	860.00	269.46	590.94	716.00	
21	पश्चिम बंगाल	6329.00	6602.03	6871.97	6329.00	8179.08	4827.12	7778.00	6702.51		6470.00	
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11.00	0.00	0.00	11.00	14.66	14.66	11.00	11.00		11.00	
23	दादरा और नगर हवेली	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00		17.00	
24	दमन और दीव	11.00	7.13	7.13	11.00	0.00	0.00	11.00	28.00	$	11.00	
25	चंडीगढ़	61.00	92.87	92.87	61.00	85.34	85.34	61.00	61.00		61.00	
26	दिल्ली	187.00	187.00	100.00	187.00	100.00	1.42	187.00	154.00		187.00	
27	पुडुचेरी	13.00	12.99	12.99	13.00	31.99	31.99	13.00	32.00		13.00	
28	असम	7255.00	5026.84	2646.84	7255.00	0.00	0.00	9991.00	3634.92		7788.00	
29	मणिपुर	628.00	471.00	471.00	628.00	622.37	411.68	864.00	653.31	653.31	674.00	
30	त्रिपुरा	837.00	1950.00	1950.00	837.00	2150.00	2150.00	1153.00	2450.00	$	898.00	
31	सिक्किम	140.00	500.00	500.00	140.00	549.98	549.98	192.00	316.10	298.80	150.00	
	कुल :	**88500.00**	**87587.83**	**83642.83**	**88500.00**	**82962.35**	**76372.32**	**110000.00**	**100046.39**	**48667.14**	**90910.00**	

$ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ।